भाषाई एकता

श्रीमती टी.एन. अनंतलक्ष्मी
कनिष्ठ तकनीकी सहायक,
सी एम एफ आर आइ, कोचीन

भारतियों में एकता स्थापित करने में भाषाई एकता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आदा करती है । भाषाई एकता को समझने के लिए भाषा के बारे में जानना आवश्यक है । सीधे सादे शब्दों में कहे जाये तो हम अपने विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करते है वही भाषा है । इसकी भाषा वैज्ञानिक परिभाषा तो दूसरी है जो भाषा वैज्ञानिकों और साहित्यकारों के लिए उपयोगी है । हम लोगों के लिए जो ऊपरी तैराक है उनका काम सामान्य परिभाषा से ही चला जाता है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह सामाज में ही रहता है । बिना सामाज के उसकी कल्पना करना बेकार है ।

भारत एक स्वतन्त्र देश है । देश की राष्ट्रीय झंडे के प्रति, राष्ट्रीय त्योहारों के प्रति तथा राष्ट्रभाषा के प्रति जनता की एकता और भावना का गहरा सम्बन्ध है जिस प्रकार राष्ट्र के लिए मंत्री मण्डल, अस्त्र शास्त्र आदि ज्ञान विज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार भाषाई एकता भी आवश्यक है । पूरे देश के निवासियों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सार्वभौम भाषा की जरूरत है । राष्ट्र की एकता को दृढ़ करनेवाली सर्वमान्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहलाती है । भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है । पराधीन देशों में भी अनेक भाषाएँ फूलती-फलती रहती हैं ।

कशमीर से कन्याकुमारी तक तथा कछ से कामरूप तक हमारा भारत देश फैला हुआ है । इस में पच्चीस से ज़्यादा राज्य तथा सात केन्द्र शासित प्रदेश हैं । सभी राज्यों को अपनी अपनी भाषाएं हैं । उनमें थोडी बहुत समानता और असमानता विद्यमान है । इस समय संविधान द्वारा स्वीकृत अठारह भाषाएं हैं । भारत के निवासी अंग- रूप, खान-पान, आचार- विचार के साथ भाषाओं में बाँटे हैं । अंग्रेजों ने "बाँटो और राज करो" नीति के अनुसार हम लोगों को बाँटा, कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाया और बाकी लोगों को आर्य और द्राविड भाषाओं में बाँट दिया । लेकिन अब जिसे उन्होंने आर्य और द्राविड भाषाओं में बाँटा था निराधार लगती है । आर्य भाषाओं की जननी के रूप में संस्कृत को बनाया और द्राविड भाषा की जननी के रूप में मूल द्राविड भाषा को बनाया । लेकिन दक्षिण की भाषाओं के अध्ययन से ऐसा लगता है कि आधुनिक आर्य भाषाओं की अपेक्षा दक्षिण की

भाषाओं में संस्कृत के शब्द अधिक हैं । अतः संस्कृत और द्राविड भाषा दोनों का मूल एक ही है और दोनों का आपस में घनिष्ठ संबन्ध है ।

लगभग सभी भारतीय भाषाओं का जन्मसमय एक जैसा है । इसलिए भारत की सभी भाषाओं के साहित्य के विकास का रूप भी लगभग एक जैसा है । अब भारत के विविध धर्मों एवं जातियों की ओर ध्यान दिया जाए तो ज्ञात होगा कि सभी के मूलभूत सिद्धान्तों में तनिक भी अन्तर नहीं है । भारतीय धर्म तो यहाँ का प्राचीनतम धर्म है । उसके विविध रूप - वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन आदि होते हुए मुलतः अपने केन्द्रीय भाव से दूर नहीं जाते । आस्तिकता, मुक्ति की अभिलाषा, सत्यचरण, दया, क्षमा, अहिंसा आदि सब गुण सब में समान है । इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत का एक जातीय व्यक्तित्व है ।

आधुनिक संसार में अंग्रेजी का विस्तार सर्वाधिक है । प्राचीन समय अंग्रेजों ने सभी देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रचार करने के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाकर अपना राज्य भी स्थापित किया । लेकिन कालान्तर में प्रजा-तन्त्रीय भावना की एकता और सफलता के कारण विभिन्न देश स्वतन्त्र होने लगे और वे अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में अपने देश की मुख्य भाषा को प्रतिष्ठित करने लगे । यहाँ प्राचीनकाल से ही अपने देश के प्रति प्रेम, आदर और त्याग की भावना एक ही रूप में प्रत्यक्ष है । हमारे राष्ट्रीय झंडे के तीन रंग इस बात को दृढ करते हैं ।

भारतीय समाज की सबसे बडी विशेषताएं अनेकता में एकता, विषमता में समता और विभिन्नता में सहयोग है । भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशेषता के साथ उन्हें एकता के सूत्र में बाँध कर भारत माता की गले पर पहनना । भारत की आन्तरिक और आर्थिक एकता को सुदृढ करने में राष्ट्रीय एकता का प्रमुख स्थान है । यह राष्ट्रीय एकता भाषाई एकता के द्वारा ही प्राप्त कर सकेंगे। भारत में विविध जातियों का निवास है । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि । उनके अपने अपने स्वतन्त्र विश्वास है, धर्म है, रहन-सदन आदि के दृष्टिकोण है । भारत एक बहुरूपी, बहुव्यवसायी एवं बहुजातीय देश है । यह अनेकताओं और विविधताओं की रंगस्थली है । इस अनेकरूपों वाले राष्ट्र को एक बनानेवाली जो विशेषता है वही भावात्मक एकता है ।

बीस वर्ष के संघर्ष के बाद, 15 अगस्त 1947 को भारत माता के क्षितिज पर स्वतन्त्रता रूपी सूर्य का उदय हुआ था और हमारी काँग्रस सरकार सत्ता में आ गई । युगों की चिर निद्रा के बाद भारत में नये जीवन का संचार हुआ । अभी हमारी स्वतन्त्रता पचास साल बीतने पर भी हमें बडी कठिन और जटिल समस्याओं का सामना करना पडता है । देश का विभाजन हो गया और

लाखों लोगों को बेघर होना पडा था । हमारी सरकार को उनका पुनर्निवास करना पडा । उसी समय पाकिस्थान से कशमीर पर हमला किया जब कि कशमीर भारत में मिल गया था । 26 जनवरी 1950 को एक नये संविधान द्वारा भारत को एक गणतन्त्र देश घोषित कर दिया गया । इस में इसकी सभी नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और भाई चारे की गारन्टी दी गई । भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है । यहाँ धर्म, वंश, जाति अथवा मत के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

भारत की आन्तरिक एकता को सुदृढ करने में राष्ट्रीय एकता अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । आज की परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पहले से ही अधिक है। साम्प्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद तथा क्षेत्रीय भावना आदि हमारी राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर देते है । प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के हैं । प्राचीन भारत की ग्रामीण गणतन्त्र व्यवस्था भी मूलतः जनतन्त्ररूपी थी । स्वतन्त्र भारत में सभी व्यक्ति के समान अधिकार है । स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारा विचारों की अभिव्यक्ति और साहचर्य की स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र के मौलिक आधार तत्व हैं ।

आज संपूर्ण भारत सब का है । स्वतन्त्रता के वृक्ष को देशभक्तों और त्यागियों के रक्त से सींचा जाना चाहिये । परन्तू स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए कुछ बातों की सीमाओं के अन्तर ही रखा जाना भी चाहिए । देशभक्ति का तात्पर्य अपने देश के प्रति प्रेम है । यह मानव के हृदय में जलनेवाली ईश्वरीय ज्वाला है । देशभक्त अपने देश के लिए या मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए हमें तैयार कराते है। हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है ।

अधिकारों की असमानता तथा अवसरों की विषमता आन्दोलनों को पैदा करती हैं । भारत एक समृद्ध ग्रामप्रधान देश है । स्वतन्त्रता के बाद भारतीय ग्रामों की दशा में तेज़ी से सुधार हो रहा है । संक्षेप में ग्रामों के विकास में एक देश का विकास है । देश का विकास सफल रूप से होने के लिए जनता की एकता चाहिए । जनता की एकता तो भाषाई एकता में है । भाषा राष्ट्रीय एकता हासिल करने का एक जबरदस्त साधन है ।

आज भारत संपूर्ण भारतवासियों का है । दक्षिण की कावेरी हमारी है और उत्तर का हिमालय भी हमारा है । यहाँ काशी का कबीर, राजस्थान की मीरा, बंगाल के विद्यापति, महाराष्ट्र के तुक्काराम, पंजाब के नानक आदि के गीत एक ही स्वर में गूँजते है । तुलसी का मानस तथा सूर की भक्ति हर भारतीय को तल्लीन करती है । इस हमारेपन को दृढ करने के लिए भाषाई एकता की आवश्यकता है । एकता में अनेकता भारत की विशेषता है । इसलिए हमें एक जैसी भाषा चाहिये जो हमारी अपनी हो, हमारी अस्मिता हो, हमारी मिट्टी के गंध की हो, हमारे चिन्तन की हो और हम उसकी हो, वही भाषाई एकता है ।